Volume 5, Issue I, December 2015, ISSN: 2277-1255
BHARTIYAM INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION & RESEARCH
A quarterly peer reviewed International Journal of Research & Education

प्रथम पीढ़ी की सामान्य वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता का सहसंबंध

*मीता सिंह

संदर्भ

भारत अनेक धर्मो का देश है। मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है तथा सबसे पिछड़ा समुदाय भी है। मुस्लिम समुदाय के पढ़े–लिखे वर्ग में काफी उदारवादिता आ गई है, किन्तु निरक्षर वर्ग अभी भी उन्हीं प्राचीन रूढ़ीवादी विचारों मे उलझा हुआ है। मुस्लिम युग से ही मुस्लिम महिलाओं में शैक्षिक पिछड़ापन व्याप्त है। मुस्लिम युग में, समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं नें नारी के कार्य क्षेत्र की सीमा को अत्यधिक संकुचित कर दिया। यद्यपि कुलीन परिवार की नारियाँ इस तथ्य की अपवाद बनी, केवल उन्हें ही शिक्षा सुविधाओं का लाभ मिला। सामान्य स्त्रियों हेतु न तो शिक्षा का कोई विशेष प्रावधान किया गया और न ही उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। शोध की प्रकृति के अनुसार वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग किया गया है। शोध उद्वेश्यों में आए हुऐ चरों को अन्वेषण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। हरियाणा राज्य के मेवात जिले की मुस्लिम महिलाओं की सम्पूर्ण जनसख्यॉ को शोध के रूप में लिया गया है। शोध में स्तरीकृत तथा दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

संकेत शब्द– मुस्लिम महिला, निर्णय क्षमता, प्रथम पीढी, शैक्षिक स्तर ।

भूमिका

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ–2 समाज के प्रत्येक पहलू एवं संस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि देश की आजादी के बाद जैसे–2 हमारा पाश्चात्य देशों से सम्पर्क बढ़ा तो उसी पाश्चात्यीकरण के प्रभाव से भारतीय मुस्लिम महिलाओं में भी शिक्षा का प्रसार धीरे–2 बढ़ना प्रारम्भ हुआ। इस शिक्षा के प्रभाव ने धर्म के दायरे में सिमटी विचारधाराओं में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया।

परम्परावादी दृष्टिकोण को बदलने हेतु संकुचित रूढ़िवादिता के दायरे से विमुक्त होने के लिए शिक्षा रूपी उपकरण का उपयोग बड़े सहज ढंग से किया जा सकता है तथा जिसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते है। पुरूषों ने तो इसे स्वीकार किया है किन्तु स्त्रियॉ अभी भी मानसिक रूप से शिक्षा जगत मे प्रवेश लेने हेतु पूरे तौर पर तत्पर नहीं हैं। इसलिए आज हमारे देश में सबसे पिछड़ा वर्ग मुस्लिम नारी है जो अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में अन्य समुदाय की पुरूष–नारी से तथा स्वयं खुद के मुस्लिम समुदाय के पुरूषों से पिछड़ी हुई है। उन्हें मुस्लिम पुरूष, जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देते। वे उनको सिर्फ परम्परागतरूढ़ तरीके से घर को सम्भालने की इजाजत देते हैं तथा वे इस अरूचिकर कार्य द्वारा उनकी योग्यता और क्षमता को धीरे–2 क्षीण कर रहे हैं। हिन्दू बालिकाओं की तुलना में मुस्लिम बालिकाएँ शैक्षिक अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पा रही हैं जो थोड़ा बहुत लाभ उठा भी पा रही हैं, वो भी अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पा रही हैं अर्थात् वो भी किसी के दबाव में ही कार्य करती हैं और यह सब शिक्षा के पिछड़ेपन के कारण ही है। शिक्षा द्वारा

*एसिस्टेंट प्रोफेसर, एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ, क्तण्उममजं2010/हउंपसण्बवउ

महिला अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर, समालोचनात्मक चिन्तन द्वारा स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो सकती है। स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास का विकास कर, आत्मनिर्भर बन सकती है।यद्यपि आज मुस्लिम महिलाओं ने तमाम धार्मिक व सामाजिक दबाव के बावजूद पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने व घर से बाहर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, किन्तु मुस्लिम समाज सदैव से ही महिला स्वतन्त्रता को हीनता की दृष्टि से देखता है। मुस्लिम समाज में महिलाओं को बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत बहुत कम दी जाती है। आज का भारतीय मुस्लिम समाज पुरानी विचारधाराओं एवं परम्पराओं को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहा है। एक बड़ा भाग इन प्राचीन विचारों को पूर्णतः छोड़ पाने में अभी भी समर्थ नहीं हो पाया है। अतः मुस्लिम समाज मे धार्मिक दबाव के बावजूद महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने को आज भी बहुत कम लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। देश का दुर्भाग्य रहा है कि महिला–पुरूष के मध्य मुस्लिम समाज में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक असमानता की खाई काफी चौड़ी रही है।

मुस्लिम युग से ही मुस्लिम महिलाओं में शैक्षिक पिछड़ापन व्याप्त है। मुस्लिम युग में, समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं नें नारी के कार्य क्षेत्र की सीमा को अत्यधिक संकुचित कर दिया। यद्यपि कुलीन परिवार की नारियाँ इस तथ्य की अपवाद बनी, केवल उन्हें ही शिक्षा सुविधाओं का लाभ मिला। सामान्य स्त्रियों हेतु न तो शिक्षा का कोई विशेष प्रावधान किया गया और न ही उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया गया। यह तथ्य अलग है कि मुगलकाल में चांदबीबी, नूरजहां आदि योग्य स्त्रियों ने ख्याति प्राप्त की, किन्तु ये कुछ ऐसे अपवाद थे जिनके आधार पर स्त्री–शिक्षा के विकास व विस्तार का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता।

समस्या कथनः– *शोधकर्त्री की शोध समस्या* ***प्रथम पीढ़ीं की सामान्य वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता का सहसंबंध*** *है।*

उद्देश्यः– *प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैंः–*

1 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना।

2 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं की निर्णय क्षमता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाः– *प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा बनाई गई परिकल्पनाएं निम्न हैंः–*

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं की निर्णय क्षमता में अंतर है।

चरों की परिभाषा :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त किये गये चरों को निम्नलिखित अर्थों में लिया गयाः–

1 प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाएँ –*मुस्लिम समुदाय की वे महिलाएँ जिनकी भूमिका माँ व सास के रूप में है एवं 1990 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। उन्हें प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाएँ कहा गया है।*

**** एसिस्टेंट प्रोफेसर, एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ***

2 ग्रामीण मुस्लिम महिलाएँ – *मुस्लिम समुदाय की वे महिलाएँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में माँ व सास के रूप में निवास करती है, वे ग्रामीण मुस्लिम महिलाएँ कही गयी हैं।*

3 शहरी मुस्लिम महिलाएँ –*मुस्लिम समुदाय की वे महिलाएँ जो शहरी क्षेत्रों में माँ व सास के रूप में निवास करती है, वे शहरी मुस्लिम महिलाएँ कही गयी हैं।*

4 सामान्य वर्ग की मुस्लिम महिलाएँ – *संविधान के अनुसार मुस्लिम समुदाय के जिस वर्ग को सामान्य वर्ग माना गया है, उस वर्ग की महिलाओं को सामान्य वर्ग की मुस्लिम महिलाएँ कहा गया है। जैसे– सैयद, पठान, शेख*

5 निर्णय क्षमता –*निणर्य क्षमता से आशय है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शिक्षित होने के पश्चात शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक निर्णय लेने व लागू करने से है। शैक्षिक निर्णय के अन्तर्गत प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का अपने बच्चों तथा स्वयं की शिक्षा से सम्बन्धित निर्णय लेना तथा लागू करना है। व्यक्तिगत निर्णय के अन्तर्गत प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक निर्णय लेना तथा लागू करना है जबकि व्यावसायिक निर्णय के अन्तर्गत प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का अपने बच्चों के व्यवसाय से सम्बन्धित तथा स्वयं के व्यवसाय से सम्बन्धित निर्णय लेना व लागू करना है।*

शोध उपागम :

शोधकर्त्री द्वारा किये जाने वाले शोध की प्रकृति के अनुसार वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग किया गया है। शोधकर्त्री द्वारा अपने शोध के चरों को अन्वेषित करने के लिए परिमित जनसंख्या से प्रतिदर्श चयन करते हुए समान्यीकृत किया गया है।

शोध विधि :

शोधकर्त्री द्वारा शोध उद्देश्यों में आये हुए चरो का अन्वेषण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। अतः इस प्रकार शोधकर्त्री ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

जनसंख्या :

हरियाणा राज्य की मेवात जिले की मुस्लिम महिलाओं की सम्पूर्ण जनसंख्या को शोध की जनसंख्या के रूप में माना गया है।

न्यादर्श :

शोधकर्त्री द्वारा किए जाने वाले शोध में स्तरीकृत रैन्डम न्यादर्श लिया गया है। न्यादर्श में 70 शहरी व 70 ग्रामीण मुस्लिम महिलाओं को लिया गया ह"जो सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी से सम्बन्धित है। हरियाणा राज्य की मेवात जिले के मुख्य पॉच तहसील नूंह, फिरोजपुर झिरका, तावडु, हथीन व पुन्हाना से 14.14 मुस्लिम महिलाओं को लिया गया है।

उपकरण :

शोधकर्त्री द्वारा शोध उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया है:

1ण्साक्षरता स्तर को ज्ञात करने के लिए शैक्षिक स्तर अनुसूची का प्रयोग गया है

2ण्निर्णय क्षमता को मापने के लिए निर्णय क्षमता मापनी का प्रयोग किया गया है

उपरोक्त दोनों प्रकार के उपकरणों का निर्माण शोधकर्त्री द्वारा किया गया है

परिसीमन :

1 अध्ययन केवल हरियाणा राज्य के मेवात जिले तक सीमित रखा गया है।

2 अध्ययन केवल सामान्य वर्ग की मुस्लिम महिलाओं पर किया गया है।

3 अध्ययन केवल मुस्लिम महिलाओं की प्रथम पीढ़ी तक सीमित रखा गया है।

4 निर्णय क्षमता केवल शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक निर्णय तक सीमित रखी गयी है तथा व्यक्तिगत निर्णय के अन्तर्गत केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक निर्णय ही लिए गए है।

विश्लेषण एवं विवेचना:

*पहले उद्देश्य के लिए शोधकर्त्री द्वारा शोध परिकल्पना **''शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम है''** का निर्माण किया गया। जिसकी जांच हेतु शोधकर्त्री द्वारा परीक्षण परिकल्पना बनाई गई जो निम्नलिखित है:–*

1.1:– *शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम नहीं है।*

1.2:– *ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम नहीं है।*

परीक्षण परिकल्पना 1:– *शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम नहीं है।*

शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर

न्यादर्श	*छ*	*अकादमिक अंको का योग*	*औसत कक्षा*
शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाएँ	*70*	*76*	*1.08*

तालिका संख्या 1.1

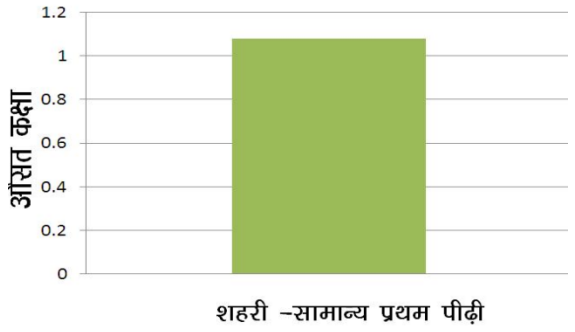

** एसिस्टेंट प्रोफेसर, एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ*

तालिका संख्या 1.1 *में शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर को दर्शाया गया है। शहरी क्षेत्र की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के अकादमिक अंको का कुल योग 76 है तथा कक्षा का औसत 1.08 है अर्थात् शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का कक्षा औसत कक्षा एक से थोड़ा सा ऊपर है। इस प्रकार तालिका का अध्ययन करने के पश्चात पाया गया कि उपरोक्त प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर बहुत ही कम है। अतः परीक्षण परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।*

परीक्षण परिकल्पना 1.2:– *ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर कम नहीं है।*

तालिका संख्या –1.2

ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर

न्यादर्श	*छ*	*अकादमिक अंको का कुल योग*	*औसत कक्षा*
ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाएँ	*70*	*53*	*0.75*

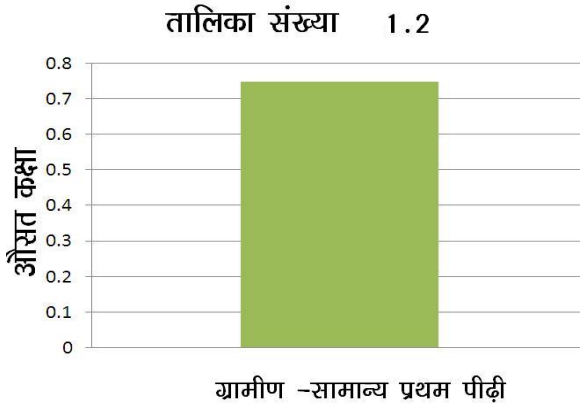

तालिका संख्या 1.2 *में ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर को दर्शाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के अकादमिक अंको का कुल योग 53 है तथा कक्षा का औसत 0.75 है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का कक्षा औसत कक्षा एक से भी कम है। इस प्रकार तालिका का अध्ययन करने के पश्चात पाया गया कि उपरोक्त प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर बहुत ही कम है। अतः परीक्षण परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।*

उद्देश्य के लिए परिकल्पना ***''शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सहसम्बन्ध होता है''*** *का निर्माण किया गया तथा इस परिकल्पना के लिए निम्नलिखित शून्य (परीक्षण) परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया–*

**** एसिस्टेंट प्रोफेसर, एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ***

1 शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं होता है।

2 ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं होता है।

परीक्षण परिकल्पना

शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं होता हैं।

तालिका संख्या 3

शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सहसम्बन्ध

छ	$\sum$ग	$\sum$ग^2	$\sum$ल	$\sum$ल^2	$\sum$गल	गणना का मान	तालिका मान	टिप्पणी
70	53	680	8034	936448	10066	0.45	0.235	परीक्षण परिकल्पना अस्वीकृत

तालिका संख्या 3 में शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता के मध्य सहसम्बन्ध को दर्शाया गया है। जिसमें शैक्षिक स्तर के कुल प्राप्तांक को $\sum$ग से तथा निर्णय क्षमता को $\sum$ल से दर्शाया गया है। इसमें गणना मान 0.45 है और 0.05 स्तर पर तालिका का मान 0.235 है। अतः गणना मान, तालिका मान से अधिक होने के कारण 0.05 स्तर पर शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सार्थक सहसम्बन्ध होता है। अतः शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका संख्या 4

ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सहसम्बन्ध

छ	$\sum$ग	$\sum$ग^2	$\sum$ल	$\sum$ल^2	$\sum$गल	गणना का मान	तालिका मान	टिप्पणी
70	53	569	7671	853415	7215	0.54	0.235	परीक्षण परिकल्पना अस्वीकृत

तालिका संख्या 4 में ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता के मध्य सहसम्बन्ध को दर्शाया गया है। जिसमें शैक्षिक स्तर के कुल प्राप्तांक को $\sum$ग से तथा निर्णय क्षमता को $\sum$ल से दर्शाया गया है। इसमें गणना मान 0.54 है और 0.05 स्तर पर तालिका का मान 0.235 है। अतः गणना मान, तालिका मान से अधिक होने के कारण 0.05 स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर एवं निर्णय क्षमता में सार्थक सहसम्बन्ध होता है। अतः शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

****एसिस्टेंट प्रोफेसर, एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ***

निष्कर्षः–

शहरी क्षेत्र की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के अकादमिक अंको का कुल योग 76 है तथा कक्षा का औसत 1.08 है अर्थात् शहरी क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का कक्षा औसत कक्षा एक से थोड़ा सा ऊपर है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं के अकादमिक अंको का कुल योग 53 है तथा कक्षा का औसत 0.75 है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का कक्षा औसत कक्षा एक से भी कम है। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य वर्ग की प्रथम पीढ़ी की मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर काफी कम है। अतः दोनों परीक्षण परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

दोनो तालिका में ही गणना मान को तालिका मान से अधिक पाया गया है। जिस कारण से शैक्षिक स्तर व निर्णय क्षमता में सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया है। अर्थात् जितना अधिक शैक्षिक स्तर होगा उतना अधिक निर्णय लेने में सक्षम होगी तथा जितना कम शैक्षिक स्तर होगा निर्णय क्षमता उतनी कम होगी ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शौकत आजिम (1997), ''मुस्लिम वुमेन– एमर्जिंग आइडेन्टिटी'', रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, जयपुर, पृ.सं. 72*
2. *सूर्य किरण अवस्थी(1996),''मुस्लिम महिलाएँ एवं शैक्षिक सुविधाएँ'',क्लासिकल पब्लिशिंग, नई दिल्ली, पृ. सं. 8*
3. *शौकत आजिम (1997), ''मुस्लिम वुमेन– एमर्जिंग आइडेन्टिटी'', रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, जयपुर, पृ.सं. 68*
4. *अवस्थी, सूर्य किरण (1996),''मुस्लिम महिलाएँ एवं शैक्षिक सुविधाएँ'', क्लासिकल पब्लिशिंग, नई दिल्ली, पृ. सं. 8*
5. *□रहीम शेख मोन्डल □ 1992□ ''पश्चिमी बंगाल में मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति'' □एम. बी. बुच □ 1988–1992□ , ''फिफ्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन'', वॉल्यूम–1, एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, पृ.सं. 585*
6. *बबीता आनन्द (2003), ''वर्किंग वुमैन इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स'', योजना परियोडिकल्स, दिल्ली।*
7. *एच. वाई. सिद्दीकी (1987), ''मुस्लिम वुमेन इन ट्रांजिशन (ए सोशल प्रोफाइल)'', □ हरनाम पब्लिकेशन 4378/4ठ, अंसारी रोड़, दरियागंज।*

**** एसिस्टेंट प्रोफेसर, एस. डी. एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बहादुरगढ***